Regional Office
Tele Fax : 05278-245411
Email : rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फ़ैज़ाबाद
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, FAIZABAD

संदर्भ संख्या
Ref. No. 585/NOC/2016

दिनांक
Date. 30/07/2016

सेवा में,

मेसर्स जग मोहन फीलिंग स्टेशन (भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0),
द्वारा श्री रितेश पाण्डेय,
ग्राम- गदायां, परगना व तहसील अकबरपुर,
जनपद- अम्बेडकरनगर

विषय- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानो के अन्तर्गत के स्थापनार्थ सहमति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप अपने पत्र दिनांक–25.07.2016 का सन्दर्भ लें। आवेदन पत्र पर विचार किया गया। अवगत हों कि एच0एस0डी0 एवं पेट्रोल के भण्डारण तथा वितरण हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति निर्गत की जाती है। निर्गत अनापत्ति निम्नांकित स्थल एवं भण्डारण हेतु विधिमान्य है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।
   (क) स्थल एवं प्रयोजन–गाटा नं0-184मि, 185, 186मि व 187मि, ग्राम- गदायां, परगना व तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।
   (ख) भण्डारण क्षमता– डीजल 20 किलोलीटर एवं पेट्रोल 20 किलोलीटर हेतु स्टील टैंक में भण्डारण किया जायेगा।
   (ग) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा–शून्य।
   (घ) प्रयुक्त ईधन–15.0 के0वी0ए0 के डी0जी0 सेट के संचालन हेतु डीजल ।
   (ङ.) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा–0.5 किली/दिन।
2. इकाई से जनित घरेलू मलजल का निस्तारण उपयुक्त क्षमता के सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाये।
3. इकाई द्वारा डीजल, पेट्रोल की भण्डारण क्षमता में परिवर्तन से पूर्व अनापत्ति प्राप्त की जाये।
4. किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव के लिए अग्निशमन अधिनियमों के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों के अनुसार व्यवस्था स्थापित की जाये।
5. डीजल, पेट्रोल का भण्डारण इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

क्रमशः 2.....

1/17/104, Ram Nagar Colony, Parikrama Marg, Faizabad-224001
1/17/104, रामनगर कालोनी, परिक्रमा मार्ग, फ़ैज़ाबाद–224001

6. इकाई द्वारा भण्डारण एवं वितरण प्रारम्भ करने से पूर्व बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये।
7. आउट लेट परिसर के चारों ओर हरितपट्टिका विकसित की जाये।
8. प्रस्तावित डीजी सेट में ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक्वास्टिक इन्क्लोजर/एग्जास्ट मफलर की स्थापना सुनिश्चित की जाये एवं संलग्न एग्जास्ट की ऊँचाई आस–पास के भवन की छत से 1.5 मीटर ऊँची की जाये।
9. इकाई द्वारा 143 भू प्रयोग प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर एक माह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चत किया जाये।
10. ऑन साइट आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप व्यवस्था की जाये, तथा निदेशक, कारखाना से सत्यापित योजना 01 माह में प्रेषित की जाये।
11. इकाई पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षा में अग्निशमन के समस्त वांछित उपाय कराना सुनिश्चित करेगा।
12. इकाई पर वाहनों की पार्किंग/आवागमन इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाये कि राज्य मार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो |
13. इकाई की स्थापना भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रदत्त ले-आउट प्लान के अनुसार की जाये |
14. इकाई परिसर में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये |
15. यह अनापत्ति निर्गत तिथि से पाँच वर्ष हेतु विधिमान्य होगी |

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्तलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्बंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में **एक माह में** प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(राम गोपाल)
क्षेत्रीय अधिकारी